फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

महबुब बनाम पीरबक्स

किस्म मुकदमा– 225 आरटीए नम्बर 62/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.19	अभिभाषक अपीलांट श्री हरीश व्यास उपस्थिति। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम हिमतासर के पुराना खसरा नम्बर 65 तादादी 86 बीघा 12 बिस्वा जिसके न ये खसरा नम्बर 187 तादादी 2.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 197 तादादी 19.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 186 तादादी 0.42 हेक्टर कुल तादादी 22.26 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खाते की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपने अपने धारण की भूमि पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए समस्त भूमि पर एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करते हुए अपीलांट को उसक कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा अपीलांट को प्राप्त सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त निषेधाज्ञा वर्ष 2008 में प्राप्त की गई थी। उसके पश्चात् से रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलांट की तामील आज दिनांक तक नहीं करवाते हुए अनिश्चितकाल तक उक्त निषेधाज्ञा का लाभ प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। जिसकी न्याय अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर बराबर का रिकाडेर्ड खातेदार है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकाडेर्ड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–02–2008 की पालना स्थगित फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्यि में अध्ययन किया गया।	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम हिमतासर के पुराना खसरा नम्बर 65 तादादी 86 बीघा 12 बिस्वा जिसके न ये खसरा नम्बर 187 तादादी 2.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 197 तादादी 19.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 186 तादादी 0.42 हेक्टर कुल तादादी 22.26 हेक्टर भूमि अपीलांट की व रेस्पेडेन्ट की संयुक्त खाते की भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2008 से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करते हुए अपीलांट की तलबी में अनावश्कय रूप से प्रकरण को लम्बित रखा जा रहा है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खाते की भूमि है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे सीपीसी के प्रावधनों के तहत एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाता। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् एकतरफा अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त अपीलांट की तलबी से गुरेज करते हुए विधिविरूद्व तरीके से एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का लाभ लिया जाता रहा है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अनिश्चितकाल तक उसके जाजय अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता सकता है। लिहाजा अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–02–2008 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय एक माह की अवधि में पारित करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.01 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: